



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5374 वर्ष 2026

रूपा मिश्रा

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रीमा पाण्डेय, सौरभ राज श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

अपील पर आदेश

1. अपीलकर्ता-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री रीमा पाण्डेय की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एस. चतुर्वेदी तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-। डॉ. एस. बी. मोर्य उपस्थित हैं।
2. स्वीकृत।
3. विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाए।
4. विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त वर्तमान अपील को यथासमय सूचीबद्ध किया जाए।

दण्डादेश के निलम्बन आवेदन पर आदेश

1. अपीलकर्ता-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री रीमा पाण्डेय की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एस. चतुर्वेदी तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-। डॉ. एस. बी. मोर्य को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान दण्डादेश निलम्बन आवेदन अपीलकर्ता-आवेदक द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अपील के लम्बित रहने के दौरान सत्र परीक्षण संख्या 454 वर्ष 2023 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रूपा मिश्रा), धारा 420, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, मुकदमा अपराध संख्या 273 वर्ष 2020, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही से उद्भूत, विद्वान सत्र न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए. न्यायालय)/अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, भदोही द्वारा पारित दिनांक 14.05.2026 के दोषसिद्धि आदेश को निलम्बित किया जाए।

3. अपीलकर्ता-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्ता-आवेदक महिला है और उसे केवल राजनीतिक कारणों से झूठे आरोपों के आधार पर वर्तमान प्रकरण में फंसाया गया है तथा यद्यपि अभिलेख पर उसके विरुद्ध कोई उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में उसे धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता सहपठित धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

4. उनका यह भी कथन है कि दिनांक 14.05.2026 के दोषसिद्धि आदेश से यह परिलक्षित होता है कि धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता की सहायता से अपीलकर्ता-आवेदक को दोषसिद्ध किया गया है।

5. उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को अधिकतम चार वर्ष का दण्डादेश प्रदान किया गया है और न्यायालय के भारी कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान अपील की शीघ्र सुनवाई की संभावना अत्यन्त कम है तथा अपीलकर्ता-आवेदक महिला है और उसके नाम कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. उनका यह भी कथन है कि अतः अपीलकर्ता को प्रदान किए गए दण्डादेश को निलम्बित किया जाए तथा अपील के लम्बित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

7. प्रतिवाद में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया और कथन किया कि अपीलकर्ता विजय मिश्रा, जो पूर्व विधायक भी थे, की पुत्रवधू है और उनके विरुद्ध भी 84 मामलों का आपराधिक इतिहास था, किन्तु वह इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि अपीलकर्ता महिला है और उसके विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसे अधिकतम केवल चार वर्ष का दण्डादेश प्रदान किया गया है और न्यायालय के भारी कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान अपील के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. न्यायालय सम्बन्धित द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से यह परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता को धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता सहपठित धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्धि आदेश से यह भी परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता को अधिकतम चार वर्ष का दण्डादेश प्रदान किया गया है।
10. न्यायालय के भारी कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल है कि वर्तमान अपील के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।
11. आगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भूपतजी सरताजजी जबराजी ठाकोर बनाम गुजरात राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3320** के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि सामान्यतः जहाँ अपीलकर्ता को निश्चित अवधि का दण्डादेश प्रदान किया गया हो, वहाँ अपील के लम्बित रहने के दौरान उसे प्रदान की गई दोषसिद्धि को निलम्बित किया जाना चाहिए तथा उसे अपील के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
12. आगे, अपीलकर्ता महिला है और उसके विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।
13. अतः, उपर्युक्त वर्णित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे विचार में अपीलकर्ता को प्रदान किए गए दण्डादेश को निलम्बित किया जा सकता है तथा अपीलकर्ता-आवेदक द्वारा प्रस्तुत दण्डादेश निलम्बन आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है और आवेदक को वर्तमान अपील के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
14. तदनुसार, अपीलकर्ता-आवेदक द्वारा प्रस्तुत दण्डादेश निलम्बन आवेदन **स्वीकार** किया जाता है। उसे प्रदान किया गया दण्डादेश निलम्बित किया जाता है तथा अपीलकर्ता-आवेदक को वर्तमान प्रकरण में उसकी अपील के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है।
15. अपीलकर्ता-**रूपा मिश्रा** को उपर्युक्त प्रकरण में उसके द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, न्यायालय सम्बन्धित की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) अपीलकर्ता किसी भी प्रकार से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

(ii) अपीलकर्ता प्रकरण में नियमित रूप से पैरवी करेगी, किसी अनावश्यक स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगी तथा वर्तमान अपील के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगी।

(iii) अपीलकर्ता किसी आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी।

16. जमानत बंधपत्र स्वीकार किए जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय उसकी छायाप्रति इस न्यायालय को प्रेषित करेगा, ताकि उसे इस अपील के अभिलेख पर रखा जा सके।

22 जून, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।